वीरनी संस्थान, जोधपुर

संघ विधान – पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम वीरनी संस्थान है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय
सत्यनारायण जी दुगट
प्लाट नं. 1, गजेन्द्र नगर,
शौभावतों की ढ़ाणी, पाल रोड़ जोधपुर।
इस संस्थान का कार्यक्षेत्र **राजस्थान राज्य** रहेगा।

3. संस्था के उद्धेश्य : संस्था के उद्धेश्य निम्न लिखित हैं:–

1. समाज के अभिन्न अंग महिलाओं, बालिकाओं एवं बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु सर्वेक्षण, महिला स्वावलम्बन, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, भरण पोषण, एवं शिक्षा–साक्षरता, हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, अभियान, शिविर एवं कार्यक्रमों का संचालन करना।
2. महिलाओं और बालिकाओं के शोषण व उत्पीडन को रोकने हेतु सरकार को सहयोग करना।
3. गांधीजी द्वारा प्रतिपादित रचनात्मक कार्यों, खादी ग्रामोध्योग द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की सेवा करना और इसके लिए आवश्यक सभी प्रवृतियों का संचालन करना।
4. शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करना। तथा आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करवाने में मदद करना एवं उच्च शिक्षण संस्थान एवं विभिन्न अनुसंधान का संचालन करना।
5. समाज के कमजोर एवं पिछडें वर्ग विशेषकर आदिवासी, अनुसूचित जाति/जनजाति के सर्वांगीण उत्थान के लिए विभिन्न प्रवृतियों को संचालन करना।
6. अनाथों, अपाहिजों, परित्याक्तओं, विधवा, वृद्धो एवं प्राकृतिक प्रकोपों से ग्रसित लोगों की सहायता करना।

रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जोधपुर

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

7. शिक्षा, साहित्य, विचार, एवं प्रचार द्वारा राष्ट्रीय, धार्मिक एवं सामाजिक गुणों का विकास करना।
8. बाल अपराधियों एवं बाल मजदूरों के उत्थान के लिए कार्य करना।
9. पर्यावरण, जलसंग्रहण, एवं कृषि के सरंक्षण कार्यों का संचालन करना।
10. पशु–पक्षीओं का सरंक्षण करना।
11. स्वयं सहायता समुह गठित कर लोगों को सहायता प्रदान करना।
12. गांवों व शहरों में जल संरक्षण के लिए कार्य करना।
13. प्रकृतिक आपदाओं में प्रभावित लोगों की मदद को लेकर कार्य करना।
14. महिलाओं हेतु महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देकर रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम चलाना।
15. अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से पिछडे लोगों को स्वास्थ्य, एवं शिक्षा से जोडने में सहयोग प्रदान करना।
16. अनाथ, लावारिश एवं गंम्भीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा के संदर्भ में समेकित विकास की नींव रखना।
17. समाज में गरीब तथा दलित लोगों के लिए उत्थान व विकास के लिए कार्य करना।
18. स्वास्थ्य शिक्षा एवं पर्यावरण को बढावा देने के लिए कार्य करना।
19. विकलांग, मुक बधिर लोगों के जीवन स्तर में गुणवत्ता लाना।
20. बाल विवाह एवं समाज में व्याप्त कुरितियो को समाज से मिटाने हेतु प्रयत्न करना एवं इस हेतु विभिन्न अभियान चलाना।
21. वृद्वजनों एवं गाडियां लुहारों को आवश्यक सुविधाए मुहैया करवानें में सहयोग प्रदान करवाना एवं उनके जीवनस्तर में गुणवत्ता लाना।
22. संस्था के समान विचारधारा वाली राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं नेटवर्कों से जोडना।
23. एच. आई. वी. / एड्स के प्रति जन साधारण का ध्यान आकर्षित करना व इसके खिलाफ जनजागृति लाना। एच. आई. वी. / एड्स से संक्रमित लोगों की देखभाल के मुद्दे, परामर्श, दवाओं की उपलब्धता करवाना और इस बीमारी से ग्रसीत बच्चों के शिक्षा दिलाने में मदद करना।
24. विभिन्न प्रकार के चिकित्सा शिविरों का आयोजन करके असहाय लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने मे मदद करना।
25. पानी की विषम समस्या से जुझ रहे गॉवों में वर्षा के पानी को संग्रहीत करके जल संग्रहण करने की जानकारी देना।

उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

NOTARY JODHPUR

(2)

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया हैं, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्न लिखित हैं।

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री शिवलाल शर्मा	सामाजिक कार्यकर्ता	473, पीपलिया क्षैत्र, वार्ड संख्या 13, जोधपुर।	अध्यक्ष
2	पर्बत सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह	समाजिक कार्याकर्ता से.नि. (आर्मी)	1600 नेहरू कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर।	उपाध्यक्ष
3	सियोना कलासुआ पत्नी श्री मनीष	नर्सिंग कर्मी	5/3, मेडिकल हॉस्टल, शास्त्रीनगर, जोधपुर	सचिव
4	प्रदीप गॉधी पुत्र श्री प्यारे लाल	लेखाकार	5/ए–5 3 पुलिया, चौ. हा. बो., जोधपुर।	कोषाध्यक्ष
5	जीवण राम बिदोया पुत्र श्री बस्ता राम	अध्यापक/ सामाजिक कार्यकार्ता	184, सरकारी कॉलोनी, बिरडावास, जोधपुर	सदस्य
6	सुनीता पत्नी श्री राधेश्याम	गृहणी	फुलेराव की घाटी, वार्ड न 23, जोधपुर।	सदस्य
7.	दिनेश कुमार जोशी पुत्र श्री जगदीश चन्द्र	सामाजिक कार्यकर्ता	जाखडी, तहसील रानीवाडा, जालौर	सदस्य

राजस्थान संस्था अधिनियम–1958 की
धारा 19 के अन्तर्गत
यह पत्र ... में प्रस्तुत किये
गये पत्र ... में पृष्ठ
संख्या ... (4) ... तक
उपलब्ध है ...
नकल देने की तारीख 2/3/15
रजिस्ट्रार (संस्थाऐं)
जोधपुर

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

NOTARY JODHPUR

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :–

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री शिवलाल शर्मा	सामाजिक कार्यकर्ता	473, पीपलिया क्षेत्र, वार्ड संख्या 13, जोधपुर।	
2.	पर्बत सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह	समाजिक कार्याकर्ता से.नि. (आर्मी)	1600 नेहरू कॉलोनी, रातानाडा, जोधपुर।	
3.	सियोना कलासुआ पत्नी श्री मनीष	नर्सिंग कर्मी	5/3, मेडिकल हॉस्टल, शास्त्रीनगर, जोधपुर	
4.	प्रदीप गॉधी पुत्र श्री प्यारे लाल	लेखाकार	5/ए–5 3 पुलिया, चौ. हा. बो., जोधपुर।	
5.	जीवण राम बिदोया पुत्र श्री बस्ता राम	अध्यापक / सामाजिक कार्यकार्ता	184, सरकारी कॉलोनी, बिरडावास, जोधपुर	
6.	सुनीता पत्नी श्री राधेश्याम	गृहणी	फुलेराव की घाटी, वार्ड न 23, जोधपुर।	
7.	दिनेश कुमार जोशी पुत्र श्री जगदीश चन्द्र	सामाजिक कार्यकर्ता	जाखडी, तहसील रानीवाडा, जालौर	
8.	डॉ उम्मेद सिंह पुत्र श्री ओम सिंह	फिजियो थेरेपिस्ट	पचेटिया, हिल वा. 28, नवचौकिया जोधपुर।	
9.	विजयलक्ष्मी पत्नी श्री शिवलाल	गृहणी	473, पीपलिया क्षेत्र, वार्ड संख्या 13, जोधपुर।	विजय लक्ष्मी
10.	मुकेश शर्मा पुत्र श्री जुगल किशोर शर्मा	स्वयं का व्यवसाय	बिजलीघर, जूनी धान मण्डी, जोधपुर।	
11.	मनीष राव पुत्र श्री क्लौडियस राव	पादरी	5/3, मेडिकल हॉस्टल, शास्त्रीनगर, वार्ड न 19 जोधपुर	
12.	मनीषा शर्मा पत्नी श्री सुरेन्द्र शर्मा	गृहणी	473, पीपलिया क्षैत्र, वार्ड संख्या 13, जोधपुर।	मनीषा
13.	संजय किशोर पुत्र श्री नन्द किशोर	प्राईवेट नोकरी	नया तलाब, अधरशिला के पास, नागौरी गेट, जोधपुर।	

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1958 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये ... पृष्ठ ... 3/3/15 रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जोधपुर

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

NOTARY JODHPUR

14	खुशबु शर्मा पुत्री श्री अशोक नारायण	गृहणी	291, जुनी मण्डी, वार्ड संख्या 28, जोधपुर।	खुशबू शर्मा
15	स्टीफन राव पुत्र श्री कनेलियस राव	से.नि. अध्यापक	44, चो. हा. बोर्ड, सेक्टर 11, वार्ड 7, जोधपुर	
16.	पुष्पा कॅवर पत्नी श्री मुलतान सिंह	गृहणी	7, गॉव तिलया खिन्दाकौर, ओसियां, जोधपुर	पुष्पा कंवर
17.	बैरिस्टो मैसी पुत्र श्री आई पी मैसी	से.नि. रेलवे	3 क्यु51, हा.बो.सैक्टर 3 क्यु, कुडी भगतासनी जोधपुर	B. Massey
18.	प्रकाश शर्मा पुत्र श्री जुगल किशोर शर्मा	व्यवसायी	383 क, पचेटिया वार्ड 28, जोधपुर।	प्रकाश शर्मा
19.	शीला सी. राव पत्नी श्री क्लोडियस राव	से.नि. नर्सिंग कर्मी	26, लक्ष्मी लाज, महेश चिल्ड्रन स्कुल के पास वार्ड न. 17 जोधपुर।	शीला सी. राव
20.	राज किशोर कुवेरा पुत्र श्री नन्द किशोर शर्मा	नौकरी / सामाजिक कार्यकर्ता	0, गॉधी नगर, वार्ड नं 62, जोधपुर।	राज किशोर कुवेरा

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होने हमारे समक्ष अपने–अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

डॉ. संजीव संघवी
(कार्डियोलॉजी)
आचार्य एवं ईकाई प्रभारी
कार्डियोलोजी विभाग
मथुरादास माथुर चिकित्सालय
मेडिकल कॉलेज, जोधपुर

(सत्या शीला राव)
व्याख्याता (अंग्रेजी)
जोधपुर

1. राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम DR. SANJEEV SANGHVI
व्यवसाय DM CARDIOLOGIST
पूर्ण पता II/3 Medical college Campus Shastri Nagar Jodhpur-0299582430114

2. राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम Mrs. Satya Sheela Rao.
व्यवसाय Lecturer
पूर्ण पता 11/44, C.H.B., Jodhpur.

राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1958
धारा 19 के अन्तर्गत
यह पत्रावि संस्था के संबंध में प्रस्तुत किये गये पत्र का कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ संख्या .... से .... तक उपलब्ध है का छाया प्रतिलिपि है।
ह. नकल तैयार करने वाले के ....
ह. नकल मिलानकर्ता के ....
नकल देने की तारीख ....
रजिस्ट्रार (संस्थाएं)
जोधपुर

NOTARY
MOHAMMED MEHFOOZ
Advocate
Distt. Jodhpur
Regd.-2766
GOVT. OF INDIA

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

ATTESTED
NOTARY, JODHPUR
23/7/15

वीरनी संस्थान, जोधपुर

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम वीरनी संस्थान है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय
श्री सत्यनारायण दुगट
प्लाट नं. 1, गजेन्द्र नगर,
शौभावतों की ढ़ाणी, पाल रोड़ जोधपुर।
इस संस्थान का कार्यक्षेत्र **राजस्थान राज्य** रहेगा।

3. संस्था के उद्धेश्य : संस्था के उद्धेश्य निम्न लिखित हैं:–

1. समाज के अभिन्न अंग महिलाओं, बालिकाओं एवं बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु सर्वेक्षण, महिला स्वावलम्बन, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, भरण. पोषण, एवं शिक्षा–साक्षरता, हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, अभियान, शिविर एवं कार्यक्रमों का संचालन करना।
2. महिलाओं और बालिकाओं के शोषण व उत्पीडन को रोकने हेतु सरकार को सहयोग करना।.
3. गांधीजी द्वारा प्रतिपादित रचनात्मक कार्यों, खादी ग्रामोध्योग द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों की सेवा करना और इसके लिए आवश्यक सभी प्रवृतियों का संचालन करना।
4. शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करना। तथा आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करवाने में मदद करना एवं उच्च शिक्षण संस्थान एवं विभिन्न अनुसंन्धान का संचालन करना।
5. समाज के कमजोर एवं पिछडें वर्ग विशेषकर, आदिवासी, अनुसूचित जाति/जनजाति के सर्वांगीण उत्थान के लिए विभिन्न प्रवृतियों को संचालन करना।

राजस्थान संस्थाएं अधिनियम 1958 के धारा 19 के अन्तर्गत ... 2/3/15
रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जोधपुर

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

NOTARY MOHAMMED MEHFOOZ Advocate Distt. Jodhpur INDIA
2/3/15

(8)

6. अनाथों, अपाहिजों, परित्याक्तओं, विधवा, वृद्वों एवं प्राकृतिक प्रकोपों से ग्रसित लोगों की सहायता करना।
7. शिक्षा, साहित्य, विचार, एवं प्रचार द्वारा राष्ट्रीय, धार्मिक एवं सामाजिक गुणों का विकास करना।
8. बाल अपराधियों एवं बाल मजदूरों के उत्थान के लिए कार्य करना।
9. पर्यावरण, जलसंग्रहण, एवं कृषि के सरंक्षण कार्यों का संचालन करना।
10. पशु–पक्षीओं का सरंक्षण करना।
11. स्वयं सहायता समुह गठित कर लोगों को सहायता प्रदान करना।
12. गांवों व शहरों में जल संरक्षण के लिए कार्य करना।
13. प्रकृतिक आपदाओं में प्रभावित लोगों की मदद को लेकर कार्य करना।
14. महिलाओं हेतु महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देकर रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम चलाना।
15. अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से पिछडे लोगों को स्वास्थ्य, एवं शिक्षा से जोडने में सहयोग प्रदान करना।
16. अनाथ, लावारिश एवं गंम्भीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा के संदर्भ में समेकित विकास की नींव रखना।
17. समाज में गरीब तथा दलित लोगों के लिए उत्थान व विकास के लिए कार्य करना।
18. स्वास्थ्य शिक्षा एवं पर्यावरण को बढावा देने के लिए कार्य करना।
19. विकलांग, मुक बघिर लोगों के जीवन स्तर में गुणवत्ता लाना।
20. बाल विवाह एवं समाज में व्याप्त कुरितियो को समाज से मिटाने हेतु प्रयत्न करना एवं इस हेतु विभिन्न अभियान चलाना।
21. वृद्वजनों एवं गाडियां लुहारों को आवश्यक सुविधाए मुहैया करवानें में सहयोग प्रदान करवाना एवं उनके जीवनस्तर में गुणवत्ता लाना।
22. संस्था के समान विचारधारा वाली राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं नेटवर्को से जोडना।
23. एच.आई.वी. / एड्स के प्रति जन साधारण का ध्यान आकर्षित करना व इसके खिलाफ जनजागृति लाना। एच. आई. वी. / एड्स से संक्रमित लोगों की देखभाल के मुद्दे, परामर्श, दवाओं की उपलब्धता करवाना और इस बीमारी से ग्रसीत बच्चों के शिक्षा दिलाने में मदद करना।
24. विभिन्न प्रकार के चिकित्सा शिविरों का आयोजन करके असहाय लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने मे मदद करना।

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 19 के अन्तर्गत ... नकल देने की तारीख 2/3/18
रजिस्ट्रार (संस्थाऐं) जोधपुर

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

NOTARY JODHPUR

25. पानी की विषम समस्या से जुझ रहे गॉवों में वर्षा के पानी को संग्रहीत करके जल संग्रहण करने की जानकारी देना।

उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है

4. **सदस्यता :–**
   1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
   2. बालिग हों।
   3. पागल व दीवालिये न हो
   4. संस्था के उद्धेश्यों में रूचि व आस्था रखते हों।
   5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों तथा भारत का नागरिक हो।

NOTARY MOHAMMED MEHFOOZ Advocate Distt. Jodhpur Regd.-2766 OF INDIA

5. **सदस्यों का वर्गीकरण** :– संस्था के सदस्य निम्न प्रकार से वर्गीकृत होंगे :–
   1. साधारण

6. **सदस्यता प्रदत्त शुल्क** :– उपनियम सं. 5 में अंकित सदस्य द्वारा निम्नलिखित शुल्क एवं चन्दा देय होगा।
   1. साधारण वार्षिक (250 रू शुल्क वार्षिक)
   उक्त राशि मुश्त NIL जमा करायी जा सकेंगी।

7. **सदस्यता से निष्कासन :–**
   संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :–
   1. मृत्यु होने पर
   2. त्याग पत्र देने पर
   3. संस्था के उद्धेश्यों के विपरित कार्य करने पर
   4. कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

   उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जायेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. **साधारण सभा** :– संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा निर्माण करेंगें।

राजस्थान संस्था अधिनियम-1958 की धारा 19 के अन्तर्गत ... 2/3/15 रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जोधपुर

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

NOTARY JODHPUR

9. **साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :–**

साधारण सभा के निम्न लिखित अधिकार और कर्तव्य होगें :–

1. कार्यकारिणी का चुनाव करना।
2. वर्षिक बजट पारित करना।
3. कार्यकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्वन करना।
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागु होगा)
5. चुनाव अधिकारी नियुक्ति करना।
6. वार्षिक ऑडिटर की नियुक्ति करना।
7. संस्था की सम्पति आदि की सुरक्षा।
8. समय–समय पर प्रबन्ध समिति को आवश्यक दिशा निर्देश देना।

10. **साधारण सभा की बैठकें :–**

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होगें जो पुर्व एजेण्डा में थे।

11. **कार्यकारिणी का गठन :–**

संस्था के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होगें।

1. अध्यक्ष – एक 2. उपाध्यक्ष – एक 3. सचिव – एक
4. कोषाध्यक्ष – एक 5. सदस्य – तीन

इस प्रकार कार्यकारिणी में चार (4) पदाधिकारी व तीन (3)सदस्य कुल सात (7)सदस्य होगें।

राजस्थान सासायटी अधिनियम–1958 के धारा 19 के अन्तर्गत ... रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जोधपुर

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :-
    1. संस्था की कार्यकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
    2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा।
    3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :-
    संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होगें :-
    1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
    2. वार्षिक बजट तैयार करना।
    3. संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना।
    4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, उन्हे सेवा मुक्त करना।
    5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना एवं कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
    6. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठकें :-
    1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
    2. बैठक का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
    3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
    4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वहीं होगें जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारीयों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

राजस्थान सासायटी रजि. नियम-1958 के धारा 19 के अन्तर्गत
नकल देने की तारीख 2/3/15
रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जोधपुर

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

ATTESTED 3/12/15
NOTARY, JODHPUR

15. कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–

संस्था के कार्यकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होगें। :–

1. अध्यक्ष
   1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
   2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
   3. बैठकें आहुत करना।
   4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
   5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
2. उपाध्यक्ष
   1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
   2. कार्यकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।
3. सचिव
   1. बैठकें आहूत करना।
   2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
   3. आय–व्यय पर नियन्त्रण करना।
   4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
   5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की और से हस्ताक्षर करना।
   6. पत्र व्यवहार करना।
   7. सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।
4. कोषाध्यक्ष
   1. वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।
   2. दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
   3. चन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
   4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 19 के अन्तर्गत ... 2/3/15 रजिस्ट्रार (संस्थाऐं) जोधपुर

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

ATTESTED 2/3/15

16 **संस्था का कोष :–**

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

1. चन्दा, शुल्क, अनुदान, सहायता, राजकीय अनुदान आदि से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
2. अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के सयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा।

17. **कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :–**

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगें।

1. अध्यक्ष – 20,000 रूपये।
2. सचिव – 15,000 रूपये।
3. कोषाध्यक्ष – 10,000 रूप्ये।

उपरोक्त राशि का अनुमोदन कार्यकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. **संस्था का अंकेक्षण :–**

संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा व ऑडिटर की नियुक्ति साधारण सभा द्वारा की जायेगी।

19. **संस्था का विधान में परिवर्तन :–**

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्वन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. **संस्था का विघटन :–**

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अंचल सम्पति समान उद्वेश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. **संस्था के लेखे जोखे का निरिक्षण :–**

रजिस्ट्रार संस्थाएं जोधपुर को संस्था के रिकार्ड का निरिक्षण / जॉच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पुर्ति की जावेगी।

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1958 के धारा 19 के अन्तर्गत ... प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) वीरनी संस्थान, जोधपुर की सही व सच्ची प्रति है।

रजिस्ट्रार (संस्थाऐं) जोधपुर

(1) संस्था का ...
(2) संस्था का नाम ... वीरनी संस्थान, जोधपुर
(3) किस ... विधान नियमावली
(4) ...
(5) ...
(6) ...

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष